ज्ञान शान्ति मैत्री

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित)

एम.बी.ए. एवं बी.बी.ए

विवरणिका

2009-10

दूर शिक्षा केन्द्र

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

पो. मानस मंदिर, पंचटीला, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)

फोन : (07152) 247146, 255360 फैक्स : (07152) 230903, 247146

ई-मेल : director.de@hindivishwa.org,info@hindivishwa.org

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ	
आवेदन-पत्र प्राप्ति व जमा करने की अंतिम तिथि (बिना बिलंब शुल्क)	10 जून 2009
आवेदन-पत्र प्राप्ति व जमा करने की अंतिम तिथि (बिलंब शुल्क रु. 500/- सहित)	20 जून 2009
बी.बी.ए. चयनित सूची जारी होने की तिथि	20 जुलाई 2009
एम.बी.ए. प्रवेश परीक्षा तिथि	12 जुलाई 2009
एम.बी.ए. चयनित सूची जारी होने की तिथि	30 जुलाई 2009
बी.बी.ए. एवं एम.बी.ए. के चयनित विद्यार्थियों की नामांकन की अंतिम तिथि	14 अगस्त 2009
नोटः *मांगपत्र (डी.डी.) निदेशक, दूरशिक्षा केन्द्र, म.गा.अ.हि.वि.वि., वर्धा के नाम देय होगें।*	

कुलाध्यक्ष
एवं
भारत की राष्ट्रपति

मा. श्रीमती प्रतिभा पाटिल

कुलाधिपति

प्रो. नामवर सिंह

कुलपति

श्री विभूति नारायण राय

निदेशक

प्रो. नदीम हसनैन

विभागीय परिदृश्य

नाम	पदनाम
प्रो. नदीम हसनैन	निदेशक
डॉ. ललित किशोर शुक्ल	क्षेत्रीय निदेशक
डॉ. मल्लसर्ज एम. मंगोड़ी	क्षेत्रीय निदेशक एवं अध्यक्ष
डॉ. संतोष कुमार भदौरिया	क्षेत्रीय निदेशक/रीडर
श्री शंभू जोशी	व्याख्याता
श्री अमित राय	व्याख्याता
श्री अमरेंद्र कुमार शर्मा	व्याख्याता
श्री संदीप मधुकर सपकाले	व्याख्याता
श्री शैलेश मरजी कदम	व्याख्याता
सुश्री शील खांडेकर	उच्च श्रेणी लिपिक
सुश्री रोहिणी उमाटे	निम्न श्रेणी लिपिक
श्री राम कुमार कनोरिया	भृत्य

अनुक्रम		पृष्ठ संख्या
कुलपति संदेश	–	05
निदेशक वक्तव्य	–	06
विश्वविद्यालयः एक परिचय	–	07
पारिभाषिकी	–	09
बी.बी.ए. पाठ्यक्रम परिचय	–	12
बी.बी.ए. पाठ्यक्रम विवरण	–	13
एम.बी.ए. पाठ्यक्रम परिचय	–	15
एम.बी.ए. पाठ्यक्रम विवरण	–	16
सामान्य जानकारी	–	17
दूरशिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित पाठ्यक्रम	–	21
विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रम	–	22
बी.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश आवेदन–पत्र	–	23
एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश–परीक्षा आवेदन–पत्र व प्रवेश–पत्र	–	25
फोटो गैलरी	–	27

कुलपति संदेश

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भावना हिन्दी को अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने और ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों को हिन्दी के माध्यम से एक बड़े समुदाय तक पहुँचाने की थी। इसीलिए इस विश्वविद्यालय में परम्परागत पाठ्यक्रमों से हट कर नये पाठ्यक्रम चलाने का प्रयत्न हो रहा है।

निजी रूप से मेरी मान्यता है कि विश्वविद्यालय ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ विविध विचारों के लिए जमीन तैयार हो। इसके अंतर्गत दूसरों के विचारों के लिए सम्मान की भावना हो तथा प्रश्नाकुलता की पर्याप्त संभावनाए विद्यमान हो। संक्षेप में कहें तो विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित होना चाहिए जहाँ न सिर्फ असहमति के लिए जगह हो बल्कि उसे तरजीह भी दी जाए। मैं कोशिश करूंगा कि यह विश्वविद्यालय एक ऐसे संस्थान के रूप में विकसित हो जहाँ इस महान राष्ट्र की विविधता परिलक्षित हो सके चाहे वह नस्ल के आधार पर हो या भाषा, धर्म, जाति एवं जेंडर के रूप में। यह विश्वविद्यालय हिन्दी को इस रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है जहाँ इस विविधता को संरक्षित किया जा सके तथा उदार,धर्मनिरपेक्ष एवं आधुनिक विश्वदृष्टि वाला हिन्दी राष्ट्र परिलक्षित हो।

इसी दृष्टिकोण को साकार रूप प्रदान करने तथा शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने हेतु विश्वविद्यालय में दूर शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गई। अपनी स्थापना से ही दूर शिक्षा केन्द्र अपने ध्येय ***''शिक्षा जन-जन के द्वार''*** को चरितार्थ करने हेतु प्रयासरत है। केन्द्र हिन्दी भाषा को माध्यम बना कर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद एवं निर्वचन,अहिंसा एवं शांति-अध्ययन, स्त्री-अध्ययन, दलित एवं जनजातीय अध्ययन जैसे अन्तरानुशासनिक विषयों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करता है। हिन्दी में मौलिक एवं वैकल्पिक सोच हेतु प्रतिबद्ध विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा केन्द्र प्रयास करेगा कि एक ओर अनुसंधान द्वारा हिन्दी एवं विभिन्न अन्तरानुशासनिक विषयों में मौलिक सृजन को बढ़ावा दे, साथ ही दूसरी ओर हिन्दी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को आम जन तक पहुँचा सके। पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थी समाज में विद्यमान समस्याओं के प्रति गहन आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करे और उनके सृजनात्मक समाधान के लिए भी प्रयासरत हो।

इस वर्ष हमने दूर शिक्षा के अन्तर्गत भी कई नये पाठ्यक्रमों की योजना बनाई है । विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा पाठ्यक्रमों को पिछले वर्षो में जिस तरह की लोकप्रियता प्राप्त हुई है, उसे देखते हुए इस बात में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि इन पाठ्यक्रमों का भी विद्यार्थियों को सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष विश्वविद्यालय दूर शिक्षा के कुछ नये केन्द्र भी स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जहाँ से इन पाठ्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा।

मैं दूर शिक्षा केन्द्र के समस्त सदस्यों एवं विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि सभी इस केन्द्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।

विभूति नारायण राय
कुलपति

निदेशक वक्तव्य

दूर शिक्षा को शिक्षा के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है। स्वतंत्रता के इतने वर्षो पश्चात भी देश की युवा पीढ़ी का अधिकांश भाग उच्च शिक्षा में अपनी भागीदारी नहीं कर पा रहा है। भारत में उच्च शिक्षा के बड़े सांस्थानिक ढ़ाँचे के बावजूद भी युवा पीढ़ी का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2007 में मात्र 10% था। जिसे ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2011-12 तक 15% तक लाए जाने का अनुमान है। देश की युवा पीढ़ी की उच्च शिक्षा में भागीदारी के संदर्भ में दूर शिक्षा की भूमिका स्वतः महत्वपूर्ण हो जाती है।

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके -- विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों -- तक पहुँचाना है। केन्द्र अपनी स्थापना (15 जून2007) से ही अपने ध्येय ***"शिक्षा जन-जन के द्वार"*** के प्रति समर्पित है। वर्तमान में केन्द्र 8 पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। जिसमें 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 4 स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं 2 डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्मिलित है। केन्द्र निरन्तर कार्यशालाओं को आयोजन कर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में है। यह आशा की जा सकती है कि केन्द्र शीघ्र ही नवीन अन्तरानुशासनिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर सकेगा। विश्वविद्यालय की अपनी स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप दूर शिक्षा केन्द्र हिन्दी में मौलिक सोच एवं नवीन ज्ञानानुशासनों को आम जन तक हिन्दी भाषा के माध्यम से पहुँचाने को प्रतिबद्ध है। केन्द्र विद्यार्थियों को निरन्तर गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी सहायता सेवाएँ - जिसमें काउंसलिंग, टीवी ब्राडकास्टिंग, रेडियो प्रसारण एवं परामर्श, टेली कान्फ्रेसिंग, व्यावहारिक प्रशिक्षण आदि शामिल है - प्रदान करने को प्रतिबद्ध है जो शिक्षा को सर्वागीण तथा अद्यतन बनाए रखने के लिए जरूरी है। केन्द्र सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में होने वाले अद्यतन परिवर्तनों का प्रयोग शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने में करता है। विश्वविद्यालय का दूरशिक्षा केन्द्र प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहल करते हुए विश्वविद्यालय की अवधारणा के अनुरूप पहली बार हिन्दी माध्यम से एम.बी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम जुलाई 2009 से शुरू कर रहा है, जिससे प्रबंधन के क्षेत्र में प्रवीणता हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए भविष्य के नये द्वार खुलेंगे।

यह आशा की जा सकती है विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा केन्द्र भविष्य में दूर शिक्षा के क्षेत्र में एक श्रेष्ठ केन्द्र के रूप में स्थापित होगा।

प्रो. नदीम हसनैन
निदेशक : दूरशिक्षा

विश्वविद्यालय : एक परिचय

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, भारतीय संसद द्वारा पारित **महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्यांक 3)** के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए एक विकल्प उपस्थित करने का प्रयास है। विश्वविद्यालय की दृष्टि में यह वैकल्पिकता सक्रिय रूप में दिखाई पड़ती है। इसके शैक्षणिक ढाँचे में ही आवश्यकतानुसार लचीलेपन का सही समावेश लक्षित है। इन्हीं विशिष्ट कारणों से विश्वविद्यालय **महात्मा गांधी, अन्तरराष्ट्रीय** और **हिन्दी** इन **तीन बीज** शब्दों से अपना नाम सार्थक करता है।

विश्वविद्यालय के अधिनियम की **धारा 4** में उल्लिखित **विश्वविद्यालय के उद्देश्यों** को निम्नांकित रूप से बताया गया है :-

''विश्वविद्यालय का उद्देश्य साधारणतः हिन्दी भाषा तथा साहित्य का संवर्धन और विकास करना एवं उस प्रयोजन के लिए विद्या की सुसंगत शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएँ प्रदान करना; हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययनों एवं अनुसंधान के सक्रिय अनुसरण के लिए व्यवस्था करना; देश तथा विदेश में सुसंगत सूचना के विकास और प्रसारण के लिए सुविधाएँ प्रदान करना, हिन्दी की कार्यात्मक प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए अनुवाद, निर्वचन और भाषा विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, विदेशों में हिन्दी में अभिरुचि रखने वाले हिन्दी विद्वानों एवं समूहों तक पहुँचना और विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए उन्हें सहबद्ध करना एवं दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाना होगा''।

साथ ही **धारा 5 के उपबंध (5)** के अन्तर्गत **विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों** में यह बताया गया है कि **''दूर शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को, जिनके बारे में वह अवधारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना।''**

इसी पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा केंद्र का उद्‌घाटन **भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके-विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों-तक पहुँचाना है। यह केन्द्र हिन्दी भाषा को आधार बनाकर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। यह केन्द्र स्त्री-अध्ययन, अहिंसा एवं शांति-अध्ययन जैसे नवीनतम अनुशासनों को व्यापक समाज तक पहुँचाने का प्रयास करेगा ताकि विश्वशांति एवं समता जैसे मूल्यों को व्यावहारिक तौर पर सिद्ध किया जा सके। हिन्दी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा केन्द्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर, दूर शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिन्दी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही, दूसरी ओर हिन्दी भाषा के माध्यम से रोज़गारोन्मुख पाठ्‌यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की पहुँच से लगातार दूर होने के इस दौर में दूर शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह केन्द्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केन्द्र अपने ध्येय **''शिक्षा जन-जन के द्वार''** को चरितार्थ कर सकेगा।

दर्शन :

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा केन्द्र वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिन्दी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके-विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिन्दी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूर शिक्षा कार्यक्रमों का हिन्दी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

उद्देश्य :

1. परम्परागत व्यवस्था से लाभ उठाने से वंचित रहने वालों को उच्च शिक्षा में बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना।
2. बृहत हिन्दी-भाषी समुदाय के लिए उच्च शिक्षा में अत्याधुनिक, तकनीकी एवं विशिष्ट अनुशासनों के अवसरों में वृद्धि करना।
3. हिन्दी माध्यम से डिग्री प्राप्त करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
4. नव-स्नातकों को पाठ्यक्रम की सफलतापूर्ण समाप्ति पर रोज़गार के नए एवं बेहतर अवसरों की ओर उन्मुख करने के लिए रोज़गारपरक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना।
5. शिक्षा की इस पद्धति द्वारा हिन्दी में ‘‘वैकल्पिकता’’ प्राप्त करने को बढ़ावा देना।
6. विश्वविद्यालयों की वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में बेहतर अन्तर्सम्बन्धता उपलब्ध कराने का सक्षम प्रयास करना।

महत्वपूर्ण विशेषताएँ:

- विश्वविद्यालय की अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँच।
- प्रबंधकीय कौशल के विकास पर विशेष जोर।
- सूचना एवं तकनीकी के आधुनिकतम यंत्रों/साधनों का प्रयोग।
- नामांकन नियमों में लचीलापन, पाठ्यक्रम संयोजन एवं श्रेणी/अंक सुधार सुविधाएं।
- मूल्यांकन की विकसित एवं वैज्ञानिक पद्धति।
- गुणात्मक शिक्षण पर जोर।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा :

‘सभी के लिए शिक्षा’ के लक्ष्य को परंपरागत शिक्षण व्यवस्था अकेले नहीं प्राप्त कर सकती है ऐसे में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति ने दूरस्थ शिक्षण एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के परंपरागत मॉडल से एक लम्बा सफर तय किया है। आज हम मुक्त शिक्षण, लचीले शिक्षण, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित शिक्षण (अभासी शिक्षण) तक की बात कर रहे हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति शिक्षक केन्द्रित होने के बरक्स मूलतः विद्यार्थी केन्द्रित दृष्टिकोण है। माँग आधारित शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ शिक्षा, आवश्यकता आधारित एवं लचीली शिक्षण पद्धति इसके प्रमुख घटक है। यह मौजूदा शिक्षण संसाधनों के अधिकतम उपयोग, समय एवं संसाधनों के बचत पर जोर देती है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति शिक्षा के व्यय को गुणात्मकता से कोई समझौता किए बगैर कम करने की बात करती है। भारत जैसे देश में ‘सभी के लिए शिक्षा’ के लक्ष्य को पूरा करने में दूरस्थ शिक्षण पद्धति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

परिभाषिकी

इस दस्तावेज में, जब तक कि संदर्भ अलग न हों

1. **"दूर शिक्षा केन्द्र"** - विश्वविद्यालय का एक केन्द्र जो प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री से विभिन्न राष्ट्रीय विकास के मुद्‌दों पर अनुसंधान तक के कार्यक्रम का संचालन करता है।

2. **"अकादमिक कार्य"** - विभिन्न संबंधित पाठ्‌यक्रमों (विषयों) से होगा जिसे कोई विद्यार्थी सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए करेगा/करेगी। प्रमाण-पत्र का तात्पर्य किसी डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या अनुसंधान/पी-एच.डी. डिग्री से होगा।

3. **"प्रमाणन"** - विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र होगा। पाठ्‌यक्रम में निर्धारित/निर्दिष्ट डिप्लोमा, उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि के कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक समाप्ति पर दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र।

4. **"पाठ्‌यक्रम"** - किसी अकादमिक कार्यक्रम के किसी इकाई (जिसे दूसरे शब्दों में 'विषय' कहा जा सकता है) के सफलतापूर्वक समापन करने से होगा, ताकि अकादमिक कार्यक्रम का प्रमाणन प्राप्त हो सके। पाठ्‌यक्रम विभिन्न संघटकों यथा- सैद्धांतिक एवं परियोजना कार्य का समुच्चय हो सकता है।

5. **'वर्ष'** - अकादमिक कार्यक्रम के किसी तयशुदा भाग को पूरा करने में लगने वाले दो सत्रों का योग होगा।

6. **'सत्र'** - अकादमिक कार्यक्रम के लिए निर्धारित समय (अर्ध-वार्षिक)।

7. **'विद्यार्थी पंजीयन'** - अकादमिक कार्यक्रम में किसी अध्येता के नामांकन का स्थायीकरण/अनुमोदन है। निर्धारित नामांकन प्रपत्र के पूर्ण विवरण (आवश्यक दस्तावेजों सहित) एवं निर्धारित शुल्क की अदायगी के बाद ही पंजीयन वैध माना जायेगा। विद्यार्थी पंजीयन किसी कार्यक्रम पंजीयन की तिथि से छह वर्षो के लिए वैध होगा। कार्यक्रम में पंजीयन के समय विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को पंजीयन-संख्या (P.R.N.) उपलब्ध कराएगी।

8. **'क्रेडिट पद्धति' (क्रेडिट/श्रेणी)** : विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए क्रेडिट पद्धति का अनुसरण करेगा। एक क्रेडिट का तात्पर्य विभिन्न शिक्षण/शैक्षणिक गतिविधियों अर्थात् मुद्रित सामग्री के पाठ समय, ऑडियो/श्रव्य माध्यम, वीडियो देखना, परामर्श कार्यक्रम में भागीदारी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एवं निर्दिष्ट कार्यो में लगने वाला समय। एक क्रेडिट का तात्पर्य न्यूनतम 30 घंटो की भागीदारी से है। इस तरह 4 क्रेडिट के एक पाठ का तात्पर्य 120 घंटो की शैक्षणिक गतिविधियों से है। यह अध्येता को इस बात का अहसास दिलाता है कि एक पाठ के सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए कितने परिश्रम की जरूरत है। एक अकादमिक कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन के लिए अध्येता को कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ के लिए निर्दिष्ट कार्य, प्रायोगिक कार्य, परियोजना तथा सत्रांत परीक्षा पास करनी होगी।

09. **'क्रेडिट अंक'** : प्रभावी शिक्षण के लिए अध्येता द्वारा बिताया गया शिक्षण समय। एक क्रेडिट अंक के लिए अध्येता 30-35 घंटे शिक्षण के लिए व्यय करता है, शिक्षण में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं यथा - पुस्तक पाठ, नोट लेना, समस्या समाधान, जाँच-परीक्षा, प्रयोगशाला में व्यतीत समय आदि।

10. **'शिक्षण केन्द्र'** : एक ऐसा स्थान जहाँ शैक्षणिक तथा प्रसाशनिक दोनों सुविधाएं यथा- सूचना प्राप्त करना, शैक्षणिक परामर्श, व्यवहारिक दिशा-निर्देश, कार्यानुभव, मल्टीमीडिया सुविधाएं, पुस्तकालय, परियोजना कार्यो का निर्देशन, भ्रमण कार्यक्रम, विश्वविद्यालय के साथ संप्रेषण आदि कार्यो के लिए उत्तरदायी है।

11. **'कार्यक्रम समन्वयक'** : शिक्षण केन्द्र के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दायित्वों को देखने वाला व्यक्ति। ये परामर्शदाताओं की उपलब्धता, स्वयं शिक्षण सामग्री के वितरण, परामर्श कार्यक्रम के आयोजन आदि कार्य के लिए उत्तरदायी है।

12. **'शिक्षण केन्द्र प्रमुख'** : उस संस्था का प्रमुख जिसे उस शिक्षण केन्द्र की जिम्मेदारी सौपीं गई है। वे दैनंदिन कार्यो में भागीदारी नहीं करेंगे लेकिन शिक्षण केन्द्र की किसी समस्या के समाधान में उनकी अहम भूमिका होगी।

13. **'परामर्श सत्र'** : शिक्षण केन्द्र में आयोजित वह सत्र जिसमें परामर्शदाता अध्येता के समस्याओं/प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे एवं स्वयं अध्ययन सामग्री से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेगें। परामर्श सत्र के दौरान अध्येता शिक्षण केन्द्र के प्रयोगशाला में परियोजना कार्य से संबंधित कार्य भी करेगें।

14. **'सत्र'** : किसी गतिविधि के लिए निर्धारित समय। परामर्श सत्र के लिए 2 या 4 घंटे निर्धारित होंगे। जबकि सत्रांत परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है।

15. **'प्रथम संपर्क सत्र'** : कार्यक्रम आरंभ होने के प्रथम दिन का सत्र।

16. **'परामर्शदाता'** : शिक्षण केन्द्र में उपस्थित वह व्यक्ति, जो अध्येता के समस्याओं/प्रश्नों को हल करने में मदद करता हो।

17. **'स्वयं शिक्षण सामग्री'** : दूरस्थ शिक्षण माध्यम के अध्येताओं के लिए विशेष रूप से तैयार करवायी गई शिक्षण सामग्री जिसमें मुद्रित, दृश्य, श्रव्य, सी.डी., कम्प्यूटर आधारित सामग्री आदि शामिल है, इन सामग्रियों को इस प्रकार तैयार किया जाता है ताकि अध्येता शिक्षक के बिना भी इसे समझ सके। स्वयं शिक्षण सामग्री सूचनाओं के संजाल मात्र से कुछ ज्यादा होते हैं। जिसमें बोध प्रश्न, उदाहरण, संदर्भ, घटना अध्ययन, रेखाचित्र, परिचय, परिभाषिकी, सारांश आदि जो स्वयं निर्दिष्ट प्रश्नों एवं गतिविधियों को हल करने में मददगार साबित होती है।

18. **'शिक्षण प्रबंधन पद्धति'** : एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन शिक्षण माध्यम से अध्येताओं की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। शिक्षण प्रबंधन पद्धति ऐसा माध्यम है जिससे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की सुविधाएं यथा डिजीटल पुस्तक सुविधा, व्यवहारिक दिशा-निर्देश, मल्टीमीडिया सुविधाएं, पुस्तकालय सुविधाएं, संगोष्ठी आदि का मूल्यांकन, परियोजना कार्यो का निर्देशन की व्यवस्था आदि शामिल है जो दूरस्थ शिक्षण के अलग तरह के अध्येताओं की जरूरतों को पूरा करती है। जिसमें महिलाएं, विशेष शारीरिक जरूरतों वालों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो एवं अन्य वंचितों की

आवश्यकता को पूरा करती है। इसके अलावा यह अध्येता को आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं का हल भी देती है।

19. **'आभासी शिक्षण'** : एक सॉफ्टवेयर पद्धति जो शिक्षण में मदद करती है तथा जिसका उद्देश्य सेटलाईट अथवा इंटरनेट आदि के माध्यम से शिक्षण सामग्री के सुविधाजनक पहुँच से है।

20. **'आभासी शिक्षण कक्ष'** : एक आभासी कक्षा जिसमें शिक्षक एक जगह पर तथा विद्यार्थी किसी और जगह पर हों। इस तरह की कक्षा में शिक्षक सत्रों का संचालन सेटलाईट के माध्यम से सीधा प्रसारण अथवा रिर्कार्डिंग के माध्यम से करता है। दूसरी तरफ कम्प्यूटर अथवा एल.सी.डी. स्क्रीन के माध्यम से जो सेट टॉप बॉक्स से जुड़ा रहता है, अध्येता तक पहुँच जाता है। आभासी शिक्षण कक्षा अपनी प्रकृति में पारस्परिक जुड़ाव सुनिश्चित करती है।

21. **'मूल्यांकन पद्धति'** : इस कार्यक्रम के मूल्यांकन में सम्मलित है :- 1. निर्दिष्ट कार्यो के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन 2. प्रायोगिकी, 3. सत्रांत परीक्षा, 4. परियोजना कार्य।

22. **'प्रायोगिक परीक्षा'** : प्रत्येक सैद्धांतिक पाठ के लिए शिक्षण केन्द्र द्वारा संचालित प्रायोगिक परीक्षा ताकि अध्येताओं को उनके अध्ययन के बारे में पुनर्निवेशन प्राप्त हो सके। यह अध्येता को सत्रातं परीक्षा के लिए भी तैयार कराती है।

23. **'सत्रातं परीक्षा'** : सत्रांत परीक्षा 3 घंटों की सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र की होगी जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों शामिल हैं।

24. **'परियोजना'** : परियोजना अध्येता को दिया जाने वाला एक निर्दिष्ट कार्य है जिसमें सामान्य निर्दिष्ट कार्य से अधिक प्रयत्न की जरूरत होती है। परियोजना कार्य हेतु कुल 150 अंक होते हैं।

25. **'प्रमाण पत्र'** : जिस अध्येता ने अनिवार्य उपस्थिति एवं प्रत्येक खंड की न्यूनतम अंकों के साथ परियोजना एवं कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है वे प्रमाण पत्र के अधिकारी होगें। उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करने के उपरांत शिक्षण केन्द्र तत्संबंधी प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगी। तत्पश्चात विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र निर्गत करेगा।

26. **'पाठ का सफलतापूर्वक समापन'** : पाठ छूट अथवा क्रेडिट हस्तांतरण अथवा अध्येता द्वारा परीक्षा नियमों के तहत सत्रांत परीक्षा में पाठ के सभी घटकों में 40% अथवा अधिक अंको की प्राप्ति।

बी.बी.ए. पाठ्यक्रम

परिचय

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में नई संभावनाओं को जन्म दिया है एवं व्यापक संख्या में मानव संसाधन के इस्तेमाल की संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इसके कारण विपणन, वित्त, मानव संसाधन एवं बीमा और बैकिंग के क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन्ही संभावनाओं में अपनी जमीन तलाश करना है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रबंधन के सिद्धांत के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान से भी रू-ब-रू कराया जाएगा ताकि विद्यार्थियों में दक्षता एवं विश्वास एक साथ पैदा हो सके। यह पाठ्यक्रम कुल 96 क्रेडिट का होगा।

पात्रता - 10 +2 या समकक्ष

आयु - कोई सीमा नहीं

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की न्यूनतम अवधि - 3 वर्ष

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अधिकतम अवधि - 6 वर्ष

माध्यम - हिन्दी

शुल्क सारणी (प्रथम वर्ष)	
पाठ्यक्रम शुल्क	8,000
प्रवेश शुल्क	200
नामांकन शुल्क	100
परिचय पत्र	100
परीक्षा शुल्क	800
कुल योग	**9,200**

बी.बी.ए. पाठ्यक्रम विवरण

प्रथम सत्र	बैंकिंग एवं बीमा		वित्त		विपणन		मानव संसाधन	
		क्रेडिट		क्रेडिट		क्रेडिट		**क्रेडिट**
1	**प्रबंधन के नियम**	**4**	**प्रबंधन के नियम**	**4**	**प्रबंधन के नियम**	**4**	**प्रबंधन के नियम**	4
2	**लेखांकन के मूल तत्व**	**4**	**लेखांकन के मूल तत्व**	**4**	**लेखांकन के मूल तत्व**	**4**	**लेखांकन के मूल तत्व**	4
3	**व्यावसायिक सम्प्रेषण कौशल**	**4**	**परिमाणात्मक प्रविधि**	**4**	**व्यावसायिक सम्प्रेषण कौशल**	**4**	**व्यावसायिक सम्प्रेषण कौशल**	4
4	परिमाणात्मक प्रविधि	4	संगणक अनुप्रयोग	4	परिमाणात्मक प्रविधि	4	परिमाणात्मक प्रविधि	4

द्वितीय सत्र								
1	व्यावसायिक संगठन	4	व्यावसायिक संगठन	4	व्यावसायिक संगठन	4	व्यावसायिक संगठन	**4**
2	व्यावसायिक अर्थशास्त्र	4	व्यावसायिक अर्थशास्त्र	4	व्यावसायिक अर्थशास्त्र	4	व्यावसायिक अर्थशास्त्र	**4**
3	विपणन प्रबंधन	4	विपणन प्रबंधन	4	विपणन प्रबंधन	4	मानवीय कौशल एवं सांगठनिक व्यवहार के आधारभूत तत्व	**4**
4	**सचिवालय प्रणालियाँ एवं कार्यालयीन प्रक्रियाएँ**	**4**	**सचिवालय प्रणालियाँ एवं कार्यालयीन प्रक्रियाएँ**	**4**	**सचिवालय प्रणालियाँ एवं कार्यालयीन प्रक्रियाएँ**	**4**	**सचिवालय प्रणालियाँ एवं कार्यालयीन प्रक्रियाएँ**	**4**

तृतीय सत्र								
1	**प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था**	**4**	**प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था**	**4**	**प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था**	**4**	**प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था**	4
2	**भारतीय अर्थव्यवस्था**	**4**	**भारतीय अर्थव्यवस्था**	**4**	**व्यावसायिक एवं औद्योगिक विधि**	**4**	**व्यावसायिक एवं औद्योगिक विधि**	4
3	**बीमा व्यवसाय**	**4**	**व्यापार एवं औद्योगिक विधि**	**4**	**लागत एवं प्रबंधन लेखांकन**	**4**	**लागत एवं प्रबंधन लेखांकन**	4
4	लागत एवं प्रबंधन लेखांकन	4	लागत एवं प्रबंधन लेखांकन	4	उद्यम कौशल विकास	4	मानव संसाधन प्रबंधन	4

चतुर्थ सत्र	बैंकिंग एवं बीमा	क्रेडिट	वित्त	क्रेडिट	विपणन	क्रेडिट	मानव संसाधन	क्रेडिट
1	उद्यम कौशल विकास	4	उद्यम कौशल विकास	4	उत्पादन विकास के मूल तत्व	4	उद्यम कौशल विकास	4
2	उत्पादन प्रबंधन के मूल तत्व	4	कराधान	4	वित्तीय प्रबंधन	4	संस्थागत व्यवहार	4
3	कराधान	4	ई-वाणिज्य	4	व्यावसायिक रणनीतियाँ	4	कराधान	4
4	व्यासायिक रणनीतियाँ	4	व्यावसायिक रणनितियाँ	4	उपभोक्ता व्यवहार	4	व्यावसायिक रणनीतियाँ	4
संगोष्ठी एवं प्रस्तुति								

पंचम सत्र								
1	बैंकिंग नियम	4	अंकेक्षण	4	उन्नतिशील विपणन प्रबंधन	4	अन्तरराष्ट्रीय मानव संसाधन	4
2	बीमा नियम	4	संगठन के नियम, अवधारणा एवं पद्धतियाँ	4	सेवा विपणन	4	प्रशिक्षण एवं विकास प्रबंधन	4
3	साधारण बीमा की प्रणालियाँ	4	वित्तीय प्रबंधन	4	अन्तरराष्ट्रीय विपणन	4	औद्योगिक सम्बन्ध	4
4	बैंकिंग विधि एवं प्रणालियाँ	4	निगम शासन	4	विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंधन	4	अन्तर्वैयक्तिक एवं समूह प्रबंधन	4

छठा सत्र								
1	वित्तीय उत्पाद सेवाओं का विपणन	4	उन्नतिशील वित्तीय प्रबंधन	4	ई-वाणिज्य	4	कार्मिक प्रबंधन	4
2	वाणिज्यिक बैंकिंग प्रबंधन	4	आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत एवं पोर्टफोलियो पद्धति	4	उत्पाद एवं ब्रांड प्रबंधन	4	मानव संसाधन - नियोजन एवं अंकेक्षण	4
3	पूँजी एवं मुद्रा बाजार	4	कंपनी लेखा	4	ग्रामीण विपणन	4	भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया	4
4	परियोजना कार्य	4	परियोजना कार्य	4	परियोजना कार्य	4	परियोजना कार्य	4

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम

परिचय

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में नई संभावनाओं को जन्म दिया है एवं व्यापक संख्या में मानव संसाधन के इस्तेमाल की संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इसके कारण विपणन, वित्त, मानव संसाधन एवं बीमा और बैकिंग के क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन्ही संभावनाओं में अपनी जमीन तलाश करना है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रबंधन के सिद्धांत के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान से भी रू-ब-रू कराया जाएगा ताकि विद्यार्थियों में दक्षता एवं विश्वास एक साथ पैदा हो सके।

पात्रता - स्नातक या समकक्ष

आयु - कोई सीमा नहीं

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की न्यूनतम अवधि - 3 वर्ष

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अधिकतम अवधि - 6 वर्ष

माध्यम - हिन्दी

शुल्क सारणी (प्रथम वर्ष)	
पाठ्यक्रम शुल्क	10,000
प्रवेश शुल्क	200
नामांकन शुल्क	100
परिचय पत्र	100
परीक्षा शुल्क	1,000
कुल योग	**11,400**

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम विवरण

वर्ष	सत्र	विपणन	वित्त	मानव संसाधन	बैंकिंग एवं बीमा
प्रथम वर्ष	प्रथम सत्र	प्रबंधन के मूलतत्व एवं प्रणालियाँ	प्रबंधन के मूलतत्व एवं प्रणालियाँ	प्रबंधन के मूलतत्व एवं प्रणालियाँ	प्रबंधन के मूलतत्व एवं प्रणालियाँ
		प्रबंधकों के लिए लेखांकन	प्रबंधकों के लिए लेखांकन	प्रबंधकों के लिए लेखांकन	प्रबंधकों के लिए लेखांकन
		मानव संसाधन प्रबंधन	मानव संसाधन प्रबंधन	मानव संसाधन प्रबंधन	मानव संसाधन प्रबंधन
		विपणन प्रबंधन	विपणन प्रबंधन	विपणन प्रबंधन	विपणन प्रबंधन
	द्वितीय सत्र	संगणक अनुप्रयोग	संगणक अनुप्रयोग	संगणक अनुप्रयोग	संगणक अनुप्रयोग
		वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय प्रबंधन
		परिमाणात्मक प्रविधि	परिमाणात्मक प्रविधि	परिमाणात्मक प्रविधि	परिमाणात्मक प्रविधि
		उत्पादन एवं प्रकार्य प्रबंधन	उत्पादन एवं प्रकार्य प्रबंधन	उत्पादन एवं प्रकार्य प्रबंधन	उत्पादन एवं प्रकार्य प्रबंधन
द्वितीय वर्ष	तृतीय सत्र	रणनीतिक प्रबंधन	रणनीतिक प्रबंधन	रणनीतिक प्रबंधन	रणनीतिक प्रबंधन
		अन्तरराष्ट्रीय व्यवसाय	अन्तरराष्ट्रीय व्यवसाय	अन्तरराष्ट्रीय व्यवसाय	अन्तरराष्ट्रीय व्यवसाय
		व्यवसायगत मूल्य एवं निगम शासन	व्यवसायगत मूल्य एवं निगम शासन	व्यवसायगत मूल्य एवं निगम शासन	व्यवसायगत मूल्य एवं निगम शासन
		प्रबंधकीय नियंत्रण पद्धति	प्रबंधकीय नियंत्रण पद्धति	प्रबंधकीय नियंत्रण पद्धति	प्रबंधकीय नियंत्रण पद्धति
	चतुर्थ सत्र	विपणन शोध	प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कराधान	श्रम विधियाँ	बीमा के मूल तत्व एवं प्रणालियाँ
		विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन	निगम विधि	सांगठनिक परिवर्तन एवं विकास	बैकिंग के मूल तत्व एवं प्रणालियाँ
		उपभोक्ता व्यवहार	सुरक्षा विश्लेषण एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन	मानव संसाधन नियोजन	बीमा प्रबंधन
		ब्रांड प्रबंधन	भारतीय वित्तीय व्यवस्था	प्रदर्शन प्रबंधन	प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था
तृतीय वर्ष	पंचम एवं छठा सत्र	परियोजना कार्य	परियोजना कार्य	परियोजना कार्य	परियोजना कार्य

सामान्य जानकारी

प्रवेश प्रक्रिया :

<u>**बी.बी.ए. पाठ्यक्रम**</u> हेतु प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर उपलध है, जिसे निर्धारित संलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रु. 200/- का मांगपत्र (डी.डी.) जो निदेशक, दूरशिक्षा केन्द्र, म.गां.अ.हि.वि.वि., वर्धा के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र एवं विवरणिका डाक द्वारा मंगाये जाने हेतु रु. 250/- का मांगपत्र (डी.डी.) जो निदेशक, दूरशिक्षा केन्द्र, म.गां.अ.हि.वि.वि., वर्धा के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश आवेदन हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य होगा।

<u>**एम.बी.ए. पाठ्यक्रम**</u> हेतु चयन प्रवेश-परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर उपलध है, जिसे निर्धारित संलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश-परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रु. 400/- का मांगपत्र (डी.डी.) जो निदेशक, दूरशिक्षा केन्द्र, म.गां.अ.हि.वि.वि., वर्धा के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र एवं विवरणिका डाक द्वारा मंगाये जाने हेतु रु. 450/- का मांगपत्र (डी.डी.) जो निदेशक, दूरशिक्षा केन्द्र, म.गां.अ.हि.वि.वि., वर्धा के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।

प्रवेश परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रवेश परीक्षा की संरचना इस प्रकार की गई है ताकि विद्यार्थी के बौद्धिक/तार्किक क्षमताओं का सही आकलन किया जा सके। साथ ही व्यावसायिक संस्थानों के प्रति अभ्यर्थी के कौशल की भी जाँच हो। बहुविकल्पीय प्रवेश-परीक्षा के प्रश्न मुख्यतः व्यावसायिक आकड़ों का निर्वचन, अनुप्रयोग, गणितीय कौशल, वाक् कौशल, बोध पाठ एवं सामान्य बोध आदि पर आधारित होंगे। प्रवेश परीक्षा कुल 100 बहुवैकल्पिक प्रश्नों की होगी तथा इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित होगा। प्रवेश परीक्षा ओ.एम.आर. पद्धति द्वारा संपन्न होगी।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज़ के साथ निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित पते पर पहुँच जाने चाहिए :

निदेशक
दूर शिक्षा केंद्र
महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय
पोस्ट मानस मंदिर, पंचटीला
वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र)

संलग्नकों की सूची :

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ संलग्न होना अनिवार्य है :

1. कक्षा 10 की अंकसूची / प्रमाणपत्र
2. कक्षा 12 की अंकसूची /प्रमाणपत्र
3. स्नातक की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र/डिग्री/अनन्तिम प्रमाणपत्र
4. आयु प्रमाणपत्र (जो सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया है)
5. अनुभव/सेवा प्रमाणपत्र

पात्रता एवं प्रवेश :

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों की निश्चित संख्या या लक्षित समूह की संख्या के निर्धारण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। साथ ही यह संख्या पाठ्यक्रम की मांग व संचालित करने की क्षमता पर भी निर्भर होगा।
2. लक्षित समूह में नव-स्नातक विद्यार्थी, नौकरीपेशा अभ्यर्थी इत्यादि शामिल हैं।
3. प्रवेश अर्हता के आधार पर ही होगा जैसा कि विवरणिका में निर्देशित है।
4. सभी पाठ्यक्रमों का माध्यम **हिन्दी** होगा।

प्रवेश-परीक्षा केन्द्रः

एम.बी.ए. प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय नियमानुसार निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी। विशेष परिस्थिति में परीक्षा-केन्द्र में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

वर्धा, पुणे, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, रायपुर, पटना, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, हैदराबाद।

चयन सूचना :

पाठ्यक्रमों के लिए चयनित विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा केंद्र के कार्यालय के सूचना पट्ट एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर दी जाएगी। विद्यार्थी दूर शिक्षा कार्यालय द्वारा दिए सम्पर्क नम्बर द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नामांकन :

पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क का मांगपत्र जमा करने के बाद ही उसका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद ही विद्यार्थी को नामांकन संख्या प्रदान की जाएगी, जो उनके परिचय पत्र पर भी अंकित की जाएगी। यह नामांकन संख्या पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि तक ही मान्य होगी। निर्धारित शुल्क की राशि का मांगपत्र (डी.डी.) निदेशक, दूरशिक्षा केन्द्र, म.गां.अ.हि.वि.वि., वर्धा के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। नामांकन हेतु प्रपत्र विद्यार्थी द्वारा चुने गए अध्ययन-केन्द्र से प्राप्त होगा। विद्यार्थी द्वारा भरा हुआ नामांकन प्रपत्र चुने गए अध्ययन-केन्द्र द्वारा अग्रेषित होकर वर्धा मुख्यालय में निदेशक, दूरशिक्षा केन्द्र, म.गां.अ.हि.वि.वि., पोस्ट-मानस मंदिर, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र) के पते पर प्रेषित किया जाएगा।

अध्ययन-केन्द्र :

अध्ययन-केन्द्र का चयन अभ्यर्थी द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी स्वयं प्रवेश आवेदन-प्रपत्र में अपने केन्द्र का उल्लेख करेगा और उसी के अनुसार अध्ययन-केन्द्र निर्धारित किया जायेगा। यदि किन्हीं कारणों से याचित केन्द्र का निर्धारण संभव नहीं होगा तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह विद्यार्थी के गृह जनपद के समीप का कोई अन्य अध्ययन-केन्द्र, जहाँ विद्यार्थी द्वारा चयनित कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध हो, निर्धारित किया जाएगा। छात्र द्वारा चयनित केन्द्र में परिवर्तन की माँग सामान्यतया स्वीकार नहीं की जायेगी। विशेष परिस्थिति में किन्ही औचित्यपूर्ण कारणों पर विचार किया जा सकेगा। प्रार्थना-पत्र पूर्व में चयनित अध्ययन-केन्द्र के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा।

परिचय-पत्र :

निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद विद्यार्थी को परिचय-पत्र जारी किया जाएगा। इस परिचय-पत्र में विद्यार्थी का नाम, पाठ्यक्रम का नाम, नामांकन संख्या आदि का उल्लेख किया जाएगा। किसी भी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने की न्यूनतम अवधि के दौरान पाठ्यक्रम पूरा नहीं करने पर परिचय पत्र निर्धारित शुल्क देकर पुनः बनवाना अनिवार्य है। इसके लिए रु. 50 के मांग पत्र को जमा कराना होगा। यह मांग पत्र **निदेशक, दूर शिक्षा, म.गां.अ.हि.वि.वि., वर्धा** के पक्ष में **वर्धा** में देय हो।

पाठ्यक्रम सत्र :

दूर शिक्षा केंद्र सत्र (Semester) आधार पर पाठ्यक्रम संचालित करेगा। हर विद्यार्थी को प्रदत्त अधिकतम अवधि के भीतर संचालित पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना होगा। इस अवधि में नामांकित होने वाले वर्ष की भी गणना की जाएगी।

पाठ्य सामग्री का वितरणः

दूरशिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। इस पद्धति की शिक्षा ' विद्यार्थी केन्द्रित' है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग एवं स्वाध्याय से ही सम्भव है। सामान्यतः परम्परागत प्रणाली में अध्यापक से विद्यार्थियों का सीधा सम्पर्क बनता है और इसी के माध्यम से उसे शिक्षा प्राप्त होती है। दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली में बहुआयामी व्यवस्था के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जानकारी विद्यार्थी को दी जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को उसके द्वारा चयनित कार्यक्रम की पाठ्यसामग्री (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) अध्ययन केन्द्र से प्राप्त होगी। प्रत्येक विद्यार्थी का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने अध्ययन-केन्द्र के समन्वयक से संपर्क स्थापित कर पाठ्य सामग्री प्राप्त कर लें। विद्यार्थी को महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री प्रदान की जाएगी।

प्रायोगिक एवं परियोजना कार्यः

प्रयोगात्मक कार्य अथवा परियोजना कार्य की व्यवस्था निर्धारित अध्ययन केन्द्रों पर ही की जायेगी। यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित परीक्षा के पूर्व प्रयोगात्मक व परियोजना कार्य पूरा नही करता है तो वह उस परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होगा और अगली परीक्षा के प्रयोगात्मक कार्य के लिए निर्धारित शुल्क उसे अलग से पुनः जमा करना पड़ेगा।

भुगतान प्रक्रिया :

समस्त भुगतान माँग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट)के रूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी माँग पत्र **''निदेशक, दूर शिक्षा, म.गां.अं.हि.वि.वि., वर्धा''** के पक्ष में **वर्धा** में देय हो। अन्य किसी भी तरीके से भुगतान उदाहरण-चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनीआर्डर, नगद आदि स्वीकार नहीं किए जाएँगे। प्रेषित माँगपत्र के पीछे विद्यार्थी अपना नाम, पाठ्यक्रम का नाम, राशि का उल्लेख ज़रूर करें। एक बार जमा होने वाला शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा।

प्रवेश - आरक्षण :

भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

मूल्यांकन एवं परिणाम :

दूर शिक्षा केन्द्र विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु आंतरिक एवं सत्रांत मूल्यांकन पद्धति को अपनाता है। इसमें कुल पूर्णाकों में से 30% आंतरिक मूल्यांकन/सम्पर्क कक्षाओं का तथा शेष 70% सत्रांत मूल्यांकन का होगा। सत्रांत मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। सत्रांत परीक्षा में बैठने से पहले विद्यार्थियों को निर्धारित सत्रीय कार्य/सम्पर्क कक्षाओं में 40% अंक लाना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी दोनों पूर्णाकों (100%) में से 40% प्राप्तांक लाएगा, वही उत्तीर्ण माना जाएगा। जो विद्यार्थी 40% प्राप्तांक लाने में असफल रहेंगे, उन्हें अगली सत्रांत परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित शुल्क रु. 350 के अतिरिक्त प्रति प्रश्न पत्र रु. 50 जमा कराना होगा।सत्रीय कार्य में उत्तीर्ण नहीं होने पर अगले सत्र में सत्रीय कार्य पुनः जमा कराने हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

ग्रेडिंग/श्रेणी :-

उत्तीर्ण विद्यार्थियों को निम्नांकित आधारों पर ग्रेडिंग/श्रेणी प्रदान की जाएगी -

प्रथम श्रेणी (विशिष्टता के साथ)	70% तथा अधिक
प्रथम श्रेणी	60% या अधिक परन्तु 75% से कम
द्वितीय श्रेणी	50% या अधिक परन्तु 60% से कम
तृतीय श्रेणी	40% या अधिक परन्तु 50% से कम

श्रेणी सुधार :-

जो उत्तीर्ण विद्यार्थी किसी प्रश्न पत्र में श्रेणी सुधार करना चाहता है तो उसे निर्धारित शुल्क रु. 350 के अतिरिक्त प्रति प्रश्न पत्र रु. 100/- की राशि जमा करानी होगी। यह अवसर केवल एक बार दिया जाएगा साथ ही परिणाम घोषित होने के चार सप्ताह के भीतर आवेदन करना होगा। निश्चित सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य आदि के अंकों के सम्बन्ध में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

पुनर्गणना :-

पुनर्गणना का अर्थ सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए अंकों की पुनर्गणना है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि कोई भाग अंक देने से छूट तो नहीं गया है। परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र जमा करवाना होगा तथा हर प्रश्न पत्र के लिए रु. 200/- राशि का माँग पत्र आवेदन पत्र के साथ देना होगा। इस सम्बन्ध में परिणाम घोषित करने की अवधि विश्वविद्यालय निश्चित कर सार्वजनिक करेगा। साधारणतः यह अवधि पुनर्गणना हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि से एक माह हो सकती है। अगर पुनर्गणना में कोई तब्दीली होती है तो विश्वविद्यालय अधिक अंक को ही मान्यता देगा। नयी अंक सूची बिना किसी शुल्क के विद्यार्थी को प्रदान की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्जांच एवं निश्चित सत्रीय कार्यो की पुनर्जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा।

डिग्री प्रमाणपत्र :-

पाठ्यक्रम की समस्त ज़िम्मेदारियों के पूरे होने पर ही डिग्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क रु. 250/- जमा करने होंगे। उक्त राशि का मांग पत्र **''निदेशक, दूर शिक्षा म.गां.अं.हि.वि., वर्धा''** के पक्ष में **वर्धा** में देय हो, यह मांग पत्र किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया हुआ होना चाहिए।

डिग्री की प्रतिलिपि :-

प्रत्येक प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की दूसरी प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन आवश्यक पुलिस दस्तावेज़ों (एफआईआर की प्रतिलिपि) सहित रु. 200/- राशि के मांग पत्र के साथ **निदेशक, दूर शिक्षा केन्द्र, म.गां.अ.हि.वि. वर्धा** को भेजें। यह मांग पत्र **''निदेशक, दूर शिक्षा, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा''** के पक्ष में **वर्धा** में देय होगा। यह मांग पत्र किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया हुआ होना चाहिए।

क्षेत्राधिकारः

विश्वविद्यालय के समस्त अकादमिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से जुड़े विवादों का क्षेत्राधिकार वर्धा, महाराष्ट्र (भारत) होगा।

दूरशिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित पाठ्यक्रम

1. एम.ए. ग्राम विकास
2. एम.ए.हिन्दी
3. अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
4. पत्रकारिता एवं जन-संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
5. अनुवाद प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
6. ग्राम विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
7. हिन्दी में सृजनात्मक लेखन में डिप्लोमा
8. स्त्री सशक्तिकरण एवं विकास में डिप्लोमा

प्रस्तावित पाठ्यक्रम

1. एम.ए.,.एम. फिल. (अहिंसा एवं शांति-अध्ययन)
2. एम.ए. (शांति एवं संघर्ष समाधान प्रबंधन)
3. एम.ए.,एम.फिल. (स्त्री-अध्ययन)
4. एम. फिल. (हिन्दी)
5. स्त्री-अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
6. जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
7. दलित -अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
8. जनजातीय अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित : नियमित पाठ्यक्रम

गांधी, हिन्दी और अन्तरराष्ट्रीय ये तीन बीज शब्द महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यक्षेत्र रहे हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में चार विद्यापीठों की स्थापना की गई है :

1. भाषा विद्यापीठ
2. साहित्य विद्यापीठ
3. संस्कृति विद्यापीठ एवं
4. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ

इन चारों विद्यापीठों के माध्यम से निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाएँ जा रहे हैं -

एम.ए. (2 वर्ष):

1. हिन्दी (भाषा-प्रौद्योगिकी)
2. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य)
3. हिन्दी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)
4. अहिसा एवं शांति अध्ययन
5. स्त्री अध्ययन
6. जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण
7. दलित एवं जनजाति अध्ययन
8. कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स
9. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन
10. मास्टर ऑफ इन्फॉरमेटिक्स ऐन्ड लैंग्वेज इन्जीनियरिंग (एम. आई.एल.ई.)
11. मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एम.एस.डब्ल्यू.)

एम.फिल. (1 वर्ष)

1. हिन्दी (भाषा-प्रौद्योगिकी)
2. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य)
3. हिन्दी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)
4. अहिसा एवं शांति अध्ययन
5. स्त्री अध्ययन
6. जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण

पीएच.डी.

1. हिन्दी (भाषा-प्रौद्योगिकी)
2. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य)
3. हिन्दी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)
4. अहिसा एवं शांति अध्ययन
5. स्त्री अध्ययन
6. जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण
7. पी-एच.डी. (इन्फॉरमेटिक्स ऐन्ड लैंग्वेज इन्जीनियरिंग)

चीनी, स्पैनिश एवं फ्रेंच में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित हैं।

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित)

ज्ञान शान्ति मैत्री

सत्र 2009-10 हेतु बी..बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए

पासपोर्ट साईज फोटो
(स्वहस्ताक्षरित)

आवेदन-पत्र

(अनुक्रमांक को छोड़कर आवेदन-पत्र को अभ्यर्थी स्वयं देवनागरी एवं यथापेक्षित अंग्रेजी में भरें)

अनुक्रमांक : ....

नामांकन संख्याः ....

1. अभ्यर्थी का नाम (देवनागरी में) : ....
   (जो हाई स्कूल/ मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में हो)
   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

2. माता का नाम (देवनागरी में) : ....
   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों मे)

3. पिता का नाम (देवनागरी में): ....
   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

4. जन्म तिथि (अंको में): (शब्दों में) : ....
   (हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार)

5. लिंग : : स्त्री ☐ पुरूष ☐

6. स्थायी पता : ....
   .... फोन नं..............................

7. पत्राचार का पताः ....
   ....फोन नं..............................
   ई-मेलः ....

8. पाठ्यक्रमः ....

9. वर्षः ....

10. अध्ययन-सत्रः ....

11. <u>प्रवेश शुल्क विवरण</u> : रु. .... बैंक ड्राफ्ट/रसीद संख्या .... दिनांक......................

12. अध्ययन केन्द्र का नाम : ....

(अध्ययन-केन्द्रों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hindivishwa.org पर उपलब्ध है।)

घोषणा

मैं एतद्द्वारा विधिवत् घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे संज्ञान में सत्य है, यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि, असत्यता या अनियमितता पाई गई, तो मेरी /मेरे प्रवेश को निरस्त करने एवं मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

दिनांक : **नाम ....**

स्थान :

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित)

ज्ञान शान्ति मैत्री

सत्र 2009-10 हेतु एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए

पासपोर्ट साईज फोटो
(स्वहस्ताक्षरित)

आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम : ....
2. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में : ....
3. माता का नाम : ....
4. पिता का नाम : ....
5. जन्म तिथि (अंको में) : ....
   (शब्दों में) : ....
6. राष्ट्रीयता : ....
7. वर्ग/श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करें): ....
8. स्थायी पता, फोन, ई-मेल : ....
   ....
   पिन कोड ....
9. पत्राचार का पता, फोन नं : ....
   ....
   पिन कोड ....
10. शैक्षणिक योग्यता *(प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)*: -

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय
मैट्रिक/एस.एस. एल.सी/हाईस्कूल					
12 वीं अथवा समकक्ष					
स्नातक अथवा समकक्ष					
स्नातकोत्तर					
अन्य					

11. अध्ययन-केन्द्र: ....

    (अध्ययन-केन्द्रों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hindivishwa.org पर उपलब्ध है।)

12. परीक्षा हेतु चयनित केन्द्र : ....

    (वर्धा, पुणे, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, रायपुर, पटना, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, हैदराबाद में से अभ्यर्थी को किसी एक केन्द्र का चयन करना होगा। चयनित केन्द्र मे परिवर्तन निषिद्ध है।)

आवेदक के हस्ताक्षर

तिथि :

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

ज्ञान शान्ति मैत्री

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित)

प्रवेश परीक्षा

प्रवेश–पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो
(सत्यापित प्रति)

आवेदन-पत्र क्रमांक : ....

अभ्यर्थी का नाम : ....

पाठ्यक्रम का नाम: ....

अनुक्रमांक :

परीक्षा केन्द्र : ....

प्रवेश-परीक्षा तिथि : ....

(प्रभारी : प्रवेश-प्रकोष्ठ)